यात्रा भत्ता के भुगतान के सम्बन्ध में वर्ष 1997 से राज्य सरकार के द्वारा मान्य नियमों के अनुसार भुगतान देय होगा। अतएव विश्वविद्यालय के द्वारा F.H.B. Vol. III एवं समय-समय पर शासन के द्वारा जो भी संशोधन होगा उसके अनुसार ही भुगतान किया जा सकेगा।

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून, (उत्तराखण्ड)

यात्रिक भत्ते का पावना–पत्र

वाउचर सं. ..... दिनांक .....

चैक सं. .....रू0 .....

सहायक कुलसचिव/वित्त अधिकारी

1. नाम स्पष्ट अक्षरों में.....
2. पद और पता.....
3. मूल वेतन ..... ग्रेड -पे.....
4. यात्रा का उद्देश्य.....
5. विश्वविद्यालय कार्य की तिथि.....
6. खाता संख्या.....आई.सी.एफ.सी कोड.....

यात्रा विवरण						यात्रा का स्वरूप रेल/बस सड़क मार्ग तथा श्रेणी जिसमें यात्रा की गई	वास्तविक रेल/बस भाड़ा	अनुषांगिक दर		सड़क यात्रा भत्ता		ठहरने का भत्ता		योग
प्रस्थान			आगमन					किमी	राशि रू0 पै0	किमी	राशि रू0 पै0	किमी	राशि रू0 पै0	राशि रू0 पै0
स्टेशन	तिथि	समय	स्टेशन	तिथि	समय		राशि रू0 पै0							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रमाणित किया जाता है कि इस पावना–पत्र में जिस श्रेणी के यात्रा भाड़े की मांग की गई है मैंने उसी श्रेणी में यात्रा की है और इस पावना–पत्र में जिस यात्रा का विवरण दिया गया है उसके लिए भाड़े में किसी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं हुई थी एवं प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रथम पावना–पत्र है एवं इसके पूर्व इस निमित्त कोई धन आहरित नहीं किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यात्रा सबसे कम दूरी वाले मार्ग से की गई थी।

मैंने इस यात्रा के लिए रू0.....चैक सं0.....दिनांक.....अग्रिम प्राप्त किया था जिसे इसमें समायोजित कर दिया जाये। मैंने इस यात्रा दायक के मध्य में रू0.....प्राप्त किये।

1 रू0 का रसीदी टिकट यदि राशि 5000/-रू0 से अधिक हो

हस्ताक्षर

यात्रा सत्यपित	जाँच किया एवं यात्रिक पावना–भत्ता पंजिका में अंकित किया पृष्ठ.....कम संख्या.....
स्वीकृत कुलसचिव	रूपये.....भुगतान किया जाये। अधी0 (वित्त)/आ०सम्पे०/सहा० कुलसचिव/वित्त अधिकारी